



षोडश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-09

वृहस्पतिवार, दिनांक-05 मार्च, 2020 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.31 बजे अपराह्न तक ।

[1] प्रश्नकाल :-

- (i) 03 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
- (ii) 10 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
- (iii) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-943 लघु जल संसाधन विभाग में स्थानान्तरित ।
- (iv) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-948 स्थगित ।
- (v) 90 तारांकित प्रश्न अनागत ।

इस दौरान अल्पसूचित प्रश्न संख्या-18 के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए । परन्तु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा इस मामले की जांच रिपोर्ट को आसन द्वारा स्वयं देख कर निर्णय किए जाने का अनुरोध किया गया ।

प्रश्नकर्ता के इस अनुरोध पर आसन द्वारा कहा गया कि इस संबंध में कराए गए जांच रिपोर्ट को मैं स्वयं देखूंगा । साथ ही विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाने एवं सदन को चलने देने का अनुरोध किया गया ।

आसन के आश्वासन और अनुरोध के उपरांत विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर वापस चले गए ।

तारांकित प्रश्न संख्या-942 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा कहा गया कि सरकार सचेत है कि अगर विभाग के कर्मियों द्वारा गलत उत्तर दिया जाता है, तो उसपर कार्रवाई की जाएगी ।

[2] कार्य स्थगन प्रस्ताव :-

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री उपेन्द्र पासवान, श्री मोहम्मद नेमतुल्लाह, श्री मोहम्मद नवाज आलम, श्री सुदामा प्रसाद, श्री शमीम अहमद, श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी एवं श्री फराज फातमी से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी ।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निर्माकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| (i) श्री विनोद प्रसाद यादव | (ii) श्री संजय कुमार तिवारी |
| (iii) श्री शमीम अहमद | (iv) श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी |
| (v) श्री समीर कुमार महासेठ | (vi) श्री विजय कुमार खेमका |
| (vii) श्रीमती भागीरथी देवी | (viii) श्री शत्रुघ्न तिवारी |
| (ix) श्री मदन मोहन तिवारी | (x) श्री ललन पासवान |
| (xi) श्री राजेन्द्र कुमार | (xii) श्री मोहम्मद नेमतुल्लाह |
| (xiii) श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव | (xiv) श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह |
| (xv) श्री उपेन्द्र पासवान | (xvi) श्री मोहम्मद नवाज आलम |
| (xvii) श्रीमती पूनम देवी यादव | (xviii) श्री मिथिलेश तिवारी |
| (xix) श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा | (xx) श्री फराज फातमी |
| (xxi) श्री जफर आलम | (xxii) श्री सुदामा प्रसाद |
| (xxiii) श्री विद्यासागर केशरी | (xxiv) श्री तारकिशोर प्रसाद |

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे एवं श्री सदानंद सिंह द्वारा सीवान जिले में हाई बोल्टेज तार की चपेट में आने से तीन बच्चों की मौत का मामला उठाया गया, जिसपर आसन द्वारा सरकार को इस विषय में संज्ञान लेने का निदेश दिया गया ।

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

- (i) माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी एवं अन्य सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।
- (ii) माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार एवं अन्य सभासदों का पंचायती राज विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार द्वारा पढ़ा गया तथा इसका उत्तर माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, श्री कपिल देव कामत द्वारा दिया गया ।

तत्पश्चात सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.27 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[5] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-03 (शिक्षा विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा समाज कल्याण विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान :-

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा द्वारा शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग एवं कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

- (i) श्री सुरेन्द्र कुमार
- (ii) श्री सत्यदेव सिंह
(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य, श्री रामचन्द्र सहनी ने आसन ग्रहण किया)

- (iii) श्रीमती अरूणा देवी
- (iv) श्री रामदेव राय
- (v) श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम
- (vi) श्री प्रभुनाथ प्रसाद
- (vii) श्री मिथिलेश तिवारी
- (viii) सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान
- (ix) श्रीमती बेबी कुमारी
- (x) श्री मोहम्मद नेमतुल्लाह
- (xi) श्री जितेन्द्र कुमार
- (xii) श्रीमती रेखा देवी
- (xiii) श्री राजीव नन्दन
- (xiv) श्री अनिल कुमार यादव
- (xv) श्री महबूब आलम
- (xvi) श्रीमती मंगीता देवी
- (xvii) श्री उपेन्द्र पासवान
- (xviii) श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह
- (xix) श्री कमरूल होदा
- (xx) श्री विद्या सागर निषाद

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

तत्पश्चात सरकार की ओर से माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा द्वारा वाद-विवाद का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया ।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।

तदुपरान्त माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

विपक्ष के माननीय सदस्यगण पुनः सदन में वापस आ गए ।

[6] विधायी कार्य :-

राजकीय विधेयक

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक के खण्ड-2 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ, इसके उपरांत बारी-बारी से सभी खण्ड विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[7] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 29 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक-06 मार्च, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-05.03.2020

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।